फर्द अहकाम

ओमप्रकाश बनाम राज्य सरकार

267/2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
26/3/25	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अत पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 28/3/25 को पेश हो।	
28-03-25	28/3/25 पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अत पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 25/4/25 को पेश हो।	
25/4/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप/ वकील उभयपक्ष द्वारान की प्रार्थना पत्र O7R11 CPC पर बहस सुनी गयी। वास्ते आदेश हेतु पत्रावली दिनांक 30/4/25 को पेश हो। उप-खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)	
30/4/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप. वादी की ओर से दस्तावेजात सूची पेश की। श्र.कि.हो। वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र O7R11 CPC हेतु दि. 7/5/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
7/5/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप. प्रार्थी (प्रतिवादी) संख्या 2 लगायत 5 का प्रार्थनापत्र O7R11 CPC स्वीकार किया जाकर वाद खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सुनाया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सुनाया उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर ए एस

वाद संख्या : 267 / 2024

निर्णय दिनांक : 07.05.2025

भैरूराम बनाम रामकिशन वगै०

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा०दी०

निर्णय

पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा० दी० पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा०दी० उभयपक्षकारान सुनी गई। प्रार्थीगण / प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 अधिवक्ता ने बहस में अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी / अप्रार्थी ने यह वाद न्यायालय के समक्ष ग्राम मानपुर भाटावाला, तहसील सांगानेर स्थित के सम्बन्ध में घोषणा, इन्दाज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया है। वादी / अप्रार्थी ने जिस प्रकार के तथ्यों के आधार पर वाद–पत्र प्रस्तुत किया है उसमें कही भी वाद में कहे गये कथनों के अनुसार कोई वादकारण उत्पन्न होना प्रकट नही होता है। वादकारण के अभाव में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11(ए) जाप्ता दीवानी सरसरी तौर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। वादी ने वाद में गलत तथ्यों के आधार पर यह कथन अंकित किया है कि उसके पिता की भूमि राजस्व कर्मचारियों एवं ने कम करके प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अंकित कर दी है, जबकि जो भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अंकित हुई है वह कभी भी वादी के पिता के नाम अंकित नही रही, इससे यह भी स्पष्ट है कि वादी को वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में कोई वादकारण उत्पन्न नही हुआ है। वादी ने पूर्व में भी एक वाद वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया था जिसे उसने न्यायालय के समक्ष इस आशय का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर कि "प्रार्थी / वादी व प्रतिवादीगण के मध्य आपसी समुझाईश से राजीनामा हो गया है और कोई वाद विवाद शेष नही रहा है लिहाजा न्यायालय श्रीमान के समक्ष विचाराधीन वाद में प्रार्थी / वादी आगे कोई कार्यवाही न कर प्रकरण को इस स्तर पर विड्रो करना चाहता है" ऐसी स्थिति में भी वादी द्वारा पूर्व प्रस्तुत वाद को विड्रो कर चुका है, अब यह वाद चलने योग्य नही है और यह कानून द्वारा बाधित की श्रेणी में आता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थी / वादी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा०दी० का जवाब पेश न करते हुए सीधे बहस करने हेतु निवेदन किया। अप्रार्थी / वादी अधिवक्ता ने बहस अपनी बहस में निवेदन किया कि विवादित भूमि पूर्व में वादी के पूर्वाधिकारियों के नाम रही है इसलिए घोषणा का वाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है जिसका वादी अधिकारी है। वादी को वादकारण उत्पन्न होने के पश्चात् माननीय न्यायालय के समक्ष वाद पेश किया है, प्रतिवादी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र बेबुनियादी तरीके से पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा०दी० खारिज फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

बहस उभयपक्षकारान पर मनन किया व पत्रावली मे दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि प्रतिवादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से यह आपत्ति उठाई कि वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध कोई वादकारण उत्पन्न नही है, वादकारण के अभाव में वाद पत्र खारिज किये जाने योग्य है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा अपने वाद पत्र में कही भी स्पष्ट अंकित नही किया कि प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादी को वादकारण कब उत्पन्न हुआ है, ना ही वादकारण के सम्बन्ध में कोई व्याख्या की गई है, वाद पत्र पेश करने के लिए वादकारण का होना आवश्यक है, वादी को कोई वादकारण उत्पन्न ही नही हुआ है, इसलिए वादी का वाद आदेश 7 नियम 11(ए) जा0दी0 की परिधि में आवृत होता है। वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन करने से स्पष्ट हुआ कि विवादित आराजी भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को आवंटित हुई है, विवादित आराजी भूमि आवंटित होने के पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में नामान्तरकरण विधि अनुरूप तस्दीक होना प्रकट है जिसमें राजस्व कर्मचारियों द्वारा वादी की कोई भूमि कम करना प्रतीत नही होता है, प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 की ओर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया है जिसमें यह स्पष्ट अवधारणा है कि ऐसे तुच्छ प्रकृति के वादों को प्रारम्भिक स्तर पर ही दबा देना चाहिए, जो इस प्रकरण पर पुर्णतया चस्पा होते है। प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 की ओर वादी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत वाद की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया था जिसमें वादी की स्वयं की स्वीकारोक्ति रही है कि वादी का प्रतिवादीगण से राजीनामा हो गया है और प्रकरण को विड्रो करना चाहता है, जब पूर्व में ही वादी का प्रतिवादी संख्या 1 से राजीनामा हो चुका है तो वादी प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध पुनः वाद लाने के लिये एस्टोपड है, इसलिए वादी का वाद विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रतिबन्धित है, ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0 दी0 स्वीकार किया जाकर वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (साँगानेर)

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर।